भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2019

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

देशभर में जारी किए गए ई-चालान

2019 श्री संजय सेठ:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से अब तक देशभर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किए गए ई-चालान का

राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021 से अब तक ई-चालान की भुगतान न की गई कुल राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्या है तथा उक्त राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) ई-चालान के भुगतान की अनदेखी करने वाले और बार-बार अपराध करने वाले वाहन चालकों को ट्रैक करने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए क्या तंत्र विद्यमान हैं;

(घ) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ई-चालान प्रवर्तन का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड) क्या सरकार ने यातायात अनुशासन में सुधार लाने में ई-चालान की प्रभावशीलता पर कोई अध्ययन कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड़) राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना और लक्षद्वीप को छोड़कर 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-चालान प्रणाली लागू है। वर्ष 2021 से यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किए गए राज्यवार ई-चालानों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। वर्ष 2021 से बकाया ई-चालानों की कुल राशि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 20.01.2026 को सा.का.नि. 48(अ) के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसमें केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 (सीएमवीआर) के नियम 21, 167 और 167ए में संशोधन किया गया है। ये संशोधन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक चालानों सहित यातायात चालानों के जारी करने, सेवा, भुगतान और निवारण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं।

नियमों में चालान जारी करने, चालानों पर ऑनलाइन आपत्ति जताने, निर्णय, भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस और भुगतान न करने पर होने वाले परिणामों के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसमें लंबित चालानों के निपटारे तक निर्दिष्ट वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी लेनदेन पर प्रतिबंध शामिल है। ई-चालान प्रणाली वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंसों के विरुद्ध जारी किए गए चालानों का व्यापक रिकॉर्ड भी रखती है, जिससे उनके ऐतिहासिक अपराध रिकॉर्ड के आधार पर बार-बार अपराध करने वालों की पहचान और निगरानी करना संभव हो जाता है। जहां भी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बार-बार अपराध करने पर बढ़ी हुई सजा निर्धारित की गई है, वहां यह प्रणाली मोटर यान अधिनियम, 1988 और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सजा लागू करती है। इसके अलावा, नियम 21 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के भीतर मोटर यान अधिनियम, 1988 या केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 के तहत पांच या अधिक अपराध या उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। सीएमवीआर के नियम 167 के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है। अतः, ई-चालान प्रणाली का कार्यान्वयन, जिसमें बकाया ई-चालानों पर जुर्माने की वसूली भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

अनुलग्नक- I

देशभर में ई-चालान के संबंध में श्री संजय सेठ द्वारा दिनांक 05.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021 से यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए देश भर में जारी किए गए ई-चालानों का राज्यवार और वर्षवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	613	39561	32813
2	आंध्र प्रदेश	0	113541	190212	2758600	2853132	2318903
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	197	318	1605
4	असम	193278	532493	1042324	1441400	1373633	792303
5	बिहार	778155	717651	1259196	2671284	3172338	1841676
6	चंडीगढ़	242993	603360	993553	263483	807081	447077
7	छत्तीसगढ	84081	119282	226058	263483	702049	834898
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6567	7883	30114	26994	31455	51004
9	दिल्ली	8167189	7814109	7687431	7829051	9612921	6034548
10	गोवा	748712	508333	558463	517841	356732	210152
11	गुजरात	0	284505	1604754	4324573	8573558	5152074
12	हरियाणा	1367465	2336639	3403725	3126828	5236218	2893375
13	हिमाचल प्रदेश	951103	812649	824227	1097914	1332148	945101
14	जम्मू और कश्मीर	86282	435524	1238575	1544077	1548495	807646
15	झारखंड	80496	156231	435206	718357	1164108	697983
16	कर्नाटक	5853	25164	248264	481695	885242	664022
17	केरल	2135182	5302725	11133116	11380416	10063802	5836010
18	लद्दाख	478	12	92	0	0	16
19	मध्य प्रदेश	0	708720	1310656	2550236	3255556	2142455
20	महाराष्ट्र	485804	1236407	1370114	2800287	3581780	969805
21	मणिपुर	261	2263	4599	8026	39266	13556
22	मेघालय	8708	32620	29135	31949	33400	17589
23	मिजोरम	3400	4788	6231	9871	11246	7780
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	1866
25	ओडिशा	1184769	1332370	1794492	1383169	2165700	1655727
26	पुदुचेरी	19430	90546	157825	253471	250451	93719
27	पंजाब	57892	53745	72195	398051	2046878	1594680
28	राजस्थान	1399774	1776630	2044752	2495294	4604250	4840967
29	सिक्किम	232	306	465	2573	1433	524

30	तमिलनाडु	16076042	11707487	11134669	11161829	8940669	4714206
31	त्रिपुरा	89666	181353	532108	950048	683015	370397
32	उत्तर प्रदेश	7588923	9278336	14447855	15388416	19342030	12948350
33	उत्तराखंड	217215	439103	667351	912210	1390130	1066865
34	पश्चिम बंगाल	2955	1037492	2304291	2715760	3954905	2338841

*दिनांक 30.07.2026 तक

अनुलग्नक- II

देशभर में ई-चालान के संबंध में श्री संजय सेठ द्वारा दिनांक 05.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021 से अब तक बकाया ई-चालानों की कुल राशि का राज्यवार और वर्षवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	70000	6174500	13705000
2	आंध्र प्रदेश	149118580	188142965	139932630	657463639	1264647105	1310293483
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	424500	3405702	1617115
4	असम	241911350	708818300	1631284525	1896456850	1960736250	1476356450
5	बिहार	275274413	414960530	1271404419	3132875456	4865308071	4106056546
6	चंडीगढ़	46913902	173974851	333278250	289024201	223940800	185886652
7	छतीसगढ	19614800	74020001	225605500	359047400	1062078700	1002003750
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	163100	67000	81500	366100	2590000	40362500
9	दिल्ली	10064620231	11002745624	15333055156	21766106824	33134079559	19460291735
10	गोवा	674356	6646554	31485004	85408203	231750808	583362618
11	गुजरात	290488586	404177231	1232183565	2762846860	6453516468	4933183607
12	हरियाणा	636574025	1366857082	2268250640	2891079120	13986529240	5056038100
13	हिमाचल प्रदेश	199531644	560609450	465355400	834498844	1415351451	1698652501
14	जम्मू और कश्मीर	5322800	135703600	473662900	822026297	1145798200	716249352
15	झारखंड	69640272	127664508	383547667	753955915	1244985869	753829837
16	कर्नाटक	1025000	7053002	70067148	179222150	354104058	357300763
17	केरल	275712547	622240705	2870091762	3985804108	4163216531	3365249906
18	लद्दाख	1000	500	0	0	0	1000
19	मध्य प्रदेश	0	15424459	81277400	457016050	1132985000	937117054
20	महाराष्ट्र	357085267	873538125	1043939313	3235956999	5155006337	1861747415
21	मणिपुर	385100	4601600	6873400	10468600	70998500	22941300
22	मेघालय	83500	1305700	8885500	10644000	38457600	14484700

23	मिजोरम	32900	650800	4992000	7289700	5445000	4933000
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	5309500
25	ओडिशा	1421771203	2183090789	3827048831	3188158150	6277168617	4777966904
26	पुदुचेरी	153100	30308800	69963000	108171400	108171400	81428800
27	पंजाब	75005200	45598100	51257812	279671369	1579972432	1593124773
28	राजस्थान	333262723	519098980	856720908	1476669639	7240047088	10243394552
29	सिक्किम	695600	881100	1021620	5561745	4670740	1830100
30	तमिलनाडु	1813435061	2087574331	8634077190	9573217135	8768754925	5140526965
31	त्रिपुरा	56381800	70585500	249300325	640131700	407455200	214448500
32	उत्तर प्रदेश	7001046305	12588145066	19827478284	22539699527	29336938733	22022179308
33	उत्तराखंड	124463021	261344856	457779776	798962793	2921608209	1701652780
34	पश्चिम बंगाल	61100	488677292	1245063570	1899122487	3367757811	4851667932

*दिनांक 30.07.2026 तक
